न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर,आर.ए.एस.

उनवान

नवाब खाँ बनाम रफीक वगैरा

1. नवाब खाँ पुत्र रहमत खाँ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला चैलपुरा सरमथुरा तहसील सरमथुरा

-- वादी

बनाम

1. रफीक उर्फ पुप्पी खाँ पुत्र वशीर उर्फ भौमू
2. गुड्डी उर्फ रहीसा खाँ पत्नि रफीक उर्फ पुप्पी खाँ जाति मुसलमान निवासी करौली हाल आबाद मौहल्ला लंकाडांडा, चैलपुरा सरमथुरा तहसील सरमथुरा

-- प्रतिवादीगण

उपस्थिति वकील वादी :- श्री सुखरामसिंह परमार एड.

दावा अन्तर्गत धारा 188आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्याः- 05/2018

दिनांकः- 7.8.2018

निर्णय

दावा वादी इस प्रकार पेश हुआ कि वादी आराजी खसरा नंबर 2470 रकबा 0.0400 हैक्टैयर स्थित ग्राम सरमथुरा पटवार हल्का सरमथुरा-I तहसील सरमथुरा के सम्पूर्ण भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काविज रहकर काश्त कर रहा है, उपयोग व उपभोग कर बतर रहा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात में कोई हित निहित नहीं है ना ही विवादित आराजी से उनका कोई सम्बन्ध सरोकार है। फिर भी दिनांक 3.2.18 को प्रतिवादीगण एक राय होकर विवादग्रस्त आराजीयात पर अपने साथ 4-5 आदमियों को लेकर आये और मेढ को तोडकर जबरन नींव खोदकर निर्माण कार्य करने तथा सम्पूर्ण आराजी पर जबरन कब्जा करने व बर्बाद करने पर आमादा हुये। सम्पूर्ण आराजी को नष्ट भ्रष्ट करने लगे तथा कब्जा करने पर आमादा हुए। ऐसा करने से मना करते हुए वादी ने कहा कि तुम लोग आराजी को क्यों बर्बाद कर रहे हो, मेढों को नष्ट-भ्रष्ट कर रहे हो, जबरन कब्जा करने पर उतारू हो तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम करौली के दादा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी दी तथा मारपीट करने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण के साथ आये लोगों ने उक्त खातेदारी खेत की मेढों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, काट डाला और खुदाई करने लगे तथा ऐलानियां धमकी दी कि यदि वादी ने रोका या झगडा किया तो वे विवादित आराजी से वादी को जबरन बेदखल कर देंगे। वादी को कभी भी उक्त आराजीयात को काश्त नहीं करने देंगे।

उपरोक्त हालातों में प्रतिवादीगण को जरिये आदेश स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है वरना वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा वादी को उसकी आराजी के अधिपत्य व उपयोग,उपभोग से बेदखल कर देंगे।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह विवादग्रस्त आराजी ख.नं.2470 रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम सरमथुरा पटवार हल्का सरमथुरा–I तहसील सरमथुरा में वादी के अधिपत्य उपयोग, उपभोग तथा कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत वैजा नहीं करें ना ही जबरन मेढों को तोडे, नींव खोदकर निर्माण कार्य न करें ना ही जबरन कब्जा करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन स्पष्ठ हुआ कि वादी आराजी ख.नं. 2470 रकबा 0.0400हैक्टेयर वाके ग्राम सरमथुरा पटवार हल्का सरमथुरा–I तहसील सरमथुरा का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। वर्तमान में कब्जा भी वादी का ही है।

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी ख.नं.2470 रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम सरमथुरा पटवार हल्का सरमथुरा–I तहसील सरमथुरा में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत वैजा नहीं करें ना ही जबरन मेढों को तोडे, नींव खोदकर निर्माण कार्य न करें, ना जबरन कब्जा करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा